जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी– 2097 दिनांक– 4/12/09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 60 वी बैठक दिनांकः 03.12.09 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		60:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 59वीं बैठको मे लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09 के प्रस्ताव सं. 59:8 में लिये गये निर्णय की 12वीं पंक्ति मे 220 वर्गमीटर के आगे अंकित "भूमि" के स्थान पर "कार्नर भूखण्ड" प्रतिस्थापित करने के साथ कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के संदर्भ में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नही हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध मे सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु परस्ताव की अनुपालना के क्रम मे जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमे से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखन्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करे। **III.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **53वीं बैठक** दिनांक 18.6.09 में लियें गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 53:2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील बस्सी के संबध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवाया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के

उप आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में धारा 25(3) व 25(2) की कार्यवाही की जावे। निदेशक (आयोजना) ने बताया कि उक्त भूमि का पी.टी सर्वे/प्लानिंग हो चुकी है। पी.डब्ल्यू.सी की बैठक मे अनुमोदन व राज्य सरकार से 25(3) की कार्यवाही करायी जानी है। कल दिनांक 04.12.09 को आयोजित होने वाली पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को निर्देशित किया गया। **IV.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **57वीं बैठक** दिनांक 28.08.09 मे लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :- i. प्रस्ताव सख्या 57.6 के संदर्भ में निदेशक अभियांत्रिकी को निर्देशित किया गया कि वे अविलम्ब निर्माण कार्य पूर्ण करवाये। **V.** प्राधिकरण की भूमि एव सम्पत्ति निस्तारण समिति की **59वीं बैठक** दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :- i. प्रस्ताव संख्या 59.2, 59.3, 59.5, 59.6, 59.7, 59.9, 59.10 के निर्णय की पालना हो जाने के कारण इन्हे ड्रोप किया जावे। ii. प्रस्ताव सख्या 59.4 के संबध मे उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट से समिति सहमत नहीं है। अतः प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जावे। iii. प्रस्ताव संख्या 59.8 के संबध मे रामनगरिया विस्तार योजना व संशोधित मानचित्र आगामी पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में रखा जावे।
2.	6	60.2	डाकघर को आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने या निर्माण अवधि में शिथिलता प्रदान करने बाबत।	प्रस्ताव के संबंध मे समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण मे निर्माण अवधि एक वर्ष बढाने हेतु चाही गई शिथिलता दी जावे। प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी अधिरोपित करने बाबत परीक्षण करने हेतु जोन स्तर से कार्यवाही पत्रावली पर की जावे।
3.	7	60.3	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 जयपुर को अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नीलकंठ कॉलोनी के सुविधाक्षेत्र में आवंटित भूमि 690.58 वर्गगज (577.39 वर्गमीटर) के स्थान पर पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 9 भृगु नगर के सुविधाक्षेत्र की भूमि 990.41 वर्गगज भूमि (828.08 वर्गमीटर) 33 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित करने हेतु विनिमय में दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

प्राधि० सचिव (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा:–				
1.	12	60:3(1)	आनन्द लोक योजना के भू.स. सी–155 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड सं. सी–155 के स्थान पर सी–160, सी–162, सी–170, सी.–171 व सी–174 मे से कोई एक समान क्षेत्रफल का भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
2.	12	60:3(2)	आनन्द लोक योजना के भू.स. सी–175 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड सं. सी–175 के स्थान पर सी–160, सी–162, सी–170, सी.–171 व सी–174 मे से कोई एक समान क्षेत्रफल का भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
3.	13	60:3(3)	नारी चेतना समिति को ग्राम कानोता में वृद्धाश्रम हेतु ख. 762, 763 चारागाह में से 3000 व.गर्ज भूमि आवटन बाबत।	संस्था से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फण्ड की व्यवस्था, दानदाताओं की सूची व अन्य विवरण प्रस्तुत करने हेतु एल.पी.सी. की आगामी बैठक मे प्रस्तुतीकरण देने हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया।
4.	14	60:3(4)	पार्श्व नगर योजना के भूखण्ड सं. ए–256 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड सं. ए–256 के स्थान पर बी–370 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13- जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 60-वी बैठक दिनांक 03.12.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्री एच.एस.संचेती, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री भास्कर शर्मा निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
7.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन-6	विशेष आमंत्रित
11.	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमंत्रित
12.	श्री सोमदत्त दीक्षित, तहसीलदार जोन-7	विशेष आमंत्रित